

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3845
जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

अपमिश्रण करने संबंधी अपराध

+3845. डॉ. वीरेन्द्र कुमार :

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपमिश्रण करने संबंधी अपराधों को गैर-जमानती अपराध बनाने और ऐसे अपराधियों हेतु भारी दंड सहित आजीवन कारावास का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देशभर में बड़े पैमाने पर विद्यमान इस समस्या से सरकार किस प्रकार निपटने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

(क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।
